

नियम और शर्तें

ये नियम और शर्तें आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वीज़ा/मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड के उपयोग से जुड़े सभी लेनदेनों पर लागू होती हैं। डेबिट कार्ड स्वीकार करने और/या उपयोग करने पर, आप निम्नालिखित सभी नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार करते हैं और आप प्रासंगिक विनियम नियंत्रण विनियमों, एक्सचिज नीतियों और विदेशी मुद्रा कानूनों और सामान्य तौर पर, भारत के कानूनों का जैसे भी लागू हो, अनुपालन सुनिश्चित करने का कर्तव्य और दायित्व स्वीकार करते हैं।

परिभाषाएं:

“बैंक”, “स्टैंडर्ड चार्टर्ड”, “हमारा”, “हमसे” या “हम” का अर्थ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के वीज़ा/मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड का जारीकर्ता है, और इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, चाहे किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाए, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के उत्तरवर्ती और समनुदेशितों शामिल हैं। “कार्डधारक”, “आप”, “आपका” का अर्थ उस व्यक्ति से हैं जिसे नामांकित खाते(खातों) को संचालित करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वीज़ा/मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड जारी किया गया है। “कार्ड” या “डेबिट कार्ड” बैंक द्वारा जारी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वीज़ा/मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड को संदर्भित करता है और इसमें समय-समय पर बैंक द्वारा जारी कोई अन्य कार्ड भी शामिल हो सकता है। “खाता” कार्डधारक के वचत और/या चालू खाते और/या कार्डधारक द्वारा नामनिर्देशित और बैंक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्रकार के खाते को संदर्भित करता है। “प्राथमिक खाता” का अर्थ ऊपर वर्णित खातों में से एक है, जिसे कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन के लिए डेबिट किया जाएगा। जैसा कि ऊपर वर्णित है, “नामनिर्देशित खातों” में प्राथमिक खाता शामिल है, और यह आपके द्वारा लिखित रूप से नामनिर्देशित और आपके डेबिट कार्ड और पिन द्वारा एक्सेस किए जाने के लिए बैंक द्वारा अनुमोदित आपके खाते (खातों) को इंगित करता है। “ATM” का अर्थ है कोई भी ऑटोमैटेड टेलर मशीन, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हो, या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक की हो, जिस पर, अन्य चीजों के अलावा, आप अपने खाते (खातों) में भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास रखे अपने धन तक एक्सेस के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। “PIN” का अर्थ हमारे द्वारा आपको आवंटित या समय-समय पर आपके द्वारा चुनी गई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (एटीएन के एक्सेस के लिए आवश्यक) है। “अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन” का तात्पर्य भारत, नेपाल और भूतान के बाहर आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंच डेबिट कार्ड पर किए गए लेनदेन से है। “व्यापारी” या “व्यापारी प्रतिष्ठान” का अर्थ है, कोई भी प्रतिष्ठान, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, जिसे कार्डधारकों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए कार्ड योजना सक्षम बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया हो और कार्ड स्वीकार करने और आदत करने की व्यवस्था की गई हो। “डिपॉजिटरी” का अर्थ है, कोई भी मशीन/डिवाइस, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, चाहे वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हो, या किसी साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक का हो, जिस पर, अन्य चीजों के अलावा, आप अपने खाते (खातों) तक एक्सेस के लिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और भारत में बैंक में रखे अपने खाते में धनराशि जमा कर सकते हैं। “EDC” का अर्थ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा केपचर टर्मिनल, प्रिंटर, अन्य पेरिफेरल्स और पिन पैड और उपकरणों को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सहायक उपकरण, चाहे भारत में हों या विदेश में, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हों, या किसी साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक के हों, जहां, अन्य चीजों के अलावा, आप किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में लेनदेन को संसाधित करने के लिए भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अपने खाते में रखे गए अपने धन का उपयोग कर सकते हैं। “CASST” का अर्थ है, कस्टमर एक्टिवेटेड सेल्स और सर्विस टर्मिनल्स (जिसे “टच एक्सेस बैंकिंग टर्मिनल” भी कहा जाता है) चाहे भारत में हो या विदेश में, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हो, या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक का हो, जिस पर, अन्य चीजों के अलावा, आप आपके खाते (खातों) तक एक्सेस के लिए और भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आपके खाते पर लेनदेन करने के लिए आपके डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। “POS” का अर्थ है, प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल, चाहे भारत में हो या विदेश में, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हो, या साझा नेटवर्क पर किसी अन्य बैंक का हो, जिस पर, अन्य चीजों के अलावा, आप अपने डेबिट कार्ड का उपयोग भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में आपके खाता में अपने धन तक एक्सेस के लिए कर सकते हैं।

डेबिट कार्ड के सामान्य उपयोग:

इसके लिए आपका आवेदन स्वीकार करने पर, बैंक आपको एक डेबिट कार्ड जारी करेगा। आप ATM/EDC/CASST/टच एक्सेस बैंकिंग टर्मिनल/डिपॉजिटरी/POS डिवाइस और/या किसी भी समान डिवाइस में कार्ड के उपयोग के माध्यम से कैश एक्सेस कर सकते हैं और अन्य लेनदेन कर सकते हैं। जारी किए गए डेबिट कार्ड हमेशा बैंक की संपत्ति रहेंगे और बैंक के अनुरोध पर बिना किसी कारण बताए बैंक को बिना शर्त और तुरंत लौटा दिए जाएंगे। डेबिट कार्ड किसी भी परिस्थिति में कार्डधारक द्वारा हस्तांतरणीय नहीं है। बैंक बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से किसी खाते से ATM निकासी की सुविधा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आप स्वीकार करते हैं कि यदि बैंक आपके अनुरोध पर ऐसा करने के लिए सहमत होता है, तो यह पूरी तरह से आपके जोखिम पर है, बैंक आपको अब दिए गए या इसके बाद आपके द्वारा बैंक को दिए जाने वाले किसी भी लिखित स्थायी निर्देश के अलावा डेबिट कार्ड का उपयोग करके लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। आप ATM/CASST/टच एक्सेस बैंकिंग टर्मिनल/EDC-POS/डिपॉजिटरी/इंड्रा बैंक फंड ट्रांसफर या किसी अन्य उपलब्ध डिवाइस पर या अन्यथा, डेबिट कार्ड के उपयोग से संसाधित सभी लेनदेन के लिए पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। कार्ड के माध्यम से दिया गया कोई भी निर्देश अपरििवर्तनीय होगा। आप, सभी परिस्थितियों में, कार्ड के उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, चाहे वह आपकी जानकारी या आपके व्यक्त या निहित अधिकार के साथ संसाधित हो या न हो। इसके द्वारा आप बैंक को आपके खाते (खातों) से बैंक के लेनदेन के रिक्तों के अनुसार कार्ड के उपयोग से प्राप्त होने वाले किसी भी निकासी या हस्तांतरण या किसी भी ऐसे निर्देश

नियम और शर्तें

को पूरा करने के लिए राशि डेबिट करने अधिकृत करते हैं। उपरोक्त सेवाओं के संबंध में या इंड्रा बैंक फंड ट्रांसफर सहित ऑनलाइन प्राप्त या पंच्ड गलत निर्देशों के मामले में, बैंक किसी भी दावे, या आपको या किसी अन्य व्यक्ति को हुई हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, और आप इसके विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति देंगे। ऐसी क्षतिपूर्ति के डिफॉल्ट होने पर, आप बैंक को इस तरह की हानि को आपके खाते/खातों से डेबिट करने या उसे आपके किसी भी शेष या जमा के विरुद्ध विनियोजित करने की अनुमति देंगे। यदि बैंक आपके निर्देशों पर व्यवसाय के दौरान कार्य कर रहा है तो आप बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे। आपके निर्देशों का पालन करते हुए, बैंक सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर ऐसा करेगा और आपके किसी भी निर्देश पर तुरंत या किसी भी कार्रवाई में विलम्ब या असमर्थता सहित के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी और/या जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक, अपने विवेक से, किसी भी समय, पूर्व या बिना किसी पूर्व सूचना के, सुविधा और/या उसकी शर्तों और उसमें पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तन या रोक सकता है या निलंबित कर सकता है। बैंक, अपने विवेक से, किसी भी उस निर्देश को लागू न करने का निर्णय ले सकता है, जिसमें बैंक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि निर्देश वास्तविक नहीं हैं या अस्पष्ट हैं या ऐसे हैं जो संदेह पैदा करते हैं या अन्यथा अनुचित हैं और इन्हें किसी भी कारण से प्रभाव में नहीं लाया जा सकता है। हम, अपने विवेक के आधार पर, हमारे परिसरों/मशीनों/उपकरणों पर आपकी एक्सेस/उपस्थिति/सुविधाओं के उपयोग को वीडियोटैप या कैमरे पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ऐसी बिलपिंग के फुटेज पर मरसोस कर सकते हैं, और आप इसके लिए अपनी सहमति देते हैं। लेन-देन, जो आप शुरू करते हैं, केवल तभी पूरा किया जाएगा यदि आपके खाते में उपलब्ध धनराशि किसी भी लागू शुल्क, शुल्क आदि सहित लेनदेन की पूरी राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। प्रत्येक पूर्ण लेनदेन की राशि आपके खाते से बिना किसी सूचना के तुरंत काट ली जाएगी। यदि आपके द्वारा दिया गया कोई निर्देश बैंक द्वारा एक से अधिक तरीकों से निष्पादित होने में सक्षम है, तो बैंक अपने विवेक पर उक्त निर्देशों में से किसी एक तरीके से उक्त निर्देश को निष्पादित कर सकता है। हम सुविधा प्रदान करने या किसी भी उस कारण से नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जो हमारे नियंत्रण से परे है। बैंक द्वारा आपको कार्ड की सुविधा प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में, आप उन सभी कार्यों, दायों, मांगों, कार्यवाही, हानि, क्षति, चोट, लागत, शुल्क और व्यय चाहे जो भी हो और किसी के भी द्वारा लागू गए हों, जो आपको कार्ड की उक्त सुविधा प्रदान करने के कारण और/या उत्पन्न होने वाले परिणाम के रूप में और/या कार्ड की सुविधा के उपयोग के कारण कार्रवाई करने के कारण हमारे सद्भाव में काम करने, आपके निर्देशों पर कार्रवाई करने या लेने से इनकार करने के कारण हमें किसी भी समय उठाना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है, भुगताना पड़ सकता है या प्रभावित होना पड़ सकता है, से बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति देने, बचाने और हानिरहित रखने के लिए सहमत हैं।

PIN सुरक्षित करना

बैंक प्रारंभ में आपको एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (PIN) आवंटित करेगा। यदि आप प्रस्तावित संख्या की उपलब्धता के आधार पर इसे बदलना चाहते हैं तो आप अपना स्वयं का PIN (कोई भी 4-अंकीय संख्या) चुन सकते हैं। PIN की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अपना PIN किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप किसी भी सुरक्षा आवश्यकता का पालन करने में विफल रहते हैं, तो आप परिणामों के संबंध में अपने जोखिम पर, अनधिकृत उपयोग के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यदि आप अपना स्वयं का PIN चुनते हैं, तो आपको ऐसे PIN का चयन नहीं करना चाहिए जो आसानी से पहचाना जा सके या आपके संबंध पहचान योग्य हो, उदाहरण के लिए आपकी जन्मतिथि, कार पंजीकरण संख्या, या पुनरावर्ती संख्या आदि। आपको अपने डेबिट कार्ड पर या अपने डेबिट कार्ड सहित अपने रहने वाली या संग्रहित किसी अन्य वस्तु पर अपना PIN नहीं लिखना चाहिए या इंगित नहीं करना चाहिए, भले ही आपने इसे छिपाया हो।

आपके डेबिट कार्ड/PIN का खोना या चोरी/और उसकी सूचना:

कार्ड के खो जाने, गुम हो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, आपको तुरंत बैंक को इसकी लिखित सूचना देनी होगी और बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को रिपोर्ट करनी होगी। डेबिट कार्ड पर होने वाला कोई भी लेन-देन खाताधारक का तब तक एकमात्र और पूर्ण दायित्व होगा, जब तक कि बैंक को कार्ड को रद्द करने के निर्देश के साथ चोरी, खोने या गुम होने की लिखित सूचना नहीं मिली हो। एक बार कार्ड के खो जाने, गुम हो जाने, चोरी हो जाने की सूचना मिलने पर डेबिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता, भले ही बाद में यह भूल भी गया हो। कार्ड और/या पिन के गुम होने, खोने या चोरी होने के बाद के समय से शुरू होने वाली अवधि से, जब तक कार्डधारक द्वारा बैंक को लिखित रूप में सूचित नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, तब तक कार्ड और/या पिन के दुरुपयोग द्वारा, जब तक कि अन्यथा बैंक द्वारा प्रस्तावित लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी सुविधा के अंतर्गत कवर न किया गया हो, कार्ड और/या पिन द्वारा किए गए लेनदेन की किसी भी वास्तविक राशि के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा। बैंक आवेदन प्राप्त होने पर, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खोए हुए, गुम हुए या चोरी हुए कार्ड के लिए, इन नियमों और शर्तों पर या ऐसे अन्य नियमों और शर्तों पर लिन्हें हम उचित समझे, नए PIN के साथ एक प्रतिस्थापन कार्ड जारी कर सकता है या मौजूदा कार्ड पर एक नया PIN जारी कर सकता है या नए या उसी PIN के साथ एक नया कार्ड फिर से जारी कर सकता है।

गुम होने, खोने या चोरी की विलंबित सूचना:

यदि कार्डधारक ने कार्ड और/या पिन के गुम होने, खोने या चोरी होने की जानकारी मिलने पर तुरंत बैंक को सूचित न करके जोखिम में योगदान दिया है, या यदि बैंक को यह स्पष्ट नहीं है कि कार्डधारक ने

नियम और शर्तें

जोखिम में योगदान दिया है या नहीं दिया है, तो कार्ड और/या पिन के गुम होने, खोने या चोरी होने के समय से शुरू होने वाली अवधि से, जब तक कार्डधारक द्वारा बैंक को लिखित रूप में सूचित नहीं किया जाता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, तब तक कार्ड और/या पिन द्वारा किए गए लेनदेन की किसी भी वास्तविक राशि के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा।

सुविधाओं को जोड़ना और हटाना:

बैंक, अपने विवेक पर, आपकी सुविधा और उपयोग के लिए साझा नेटवर्क के माध्यम से आपको अधिक ATM, EDC-POS और/या अन्य उपकरण उपलब्ध करा सकता है। इन उपकरणों पर आपके द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित सभी शुल्क और प्रभार, जैसा कि हमारे द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, आपके खाते से डेबिट द्वारा वसूल किया जाएगा। आप समझते हैं और सहमत हैं कि ऐसे नेटवर्क विभिन्न सेवाओं और/या स्थानों के लिए अलग-अलग कार्यक्षमता, सेवा पेशकश और अलग-अलग शुल्क प्रदान कर सकते हैं। बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी समय, आपको बिना किसी सूचना के, ATM/भारत के भीतर और/या बाहर अन्य उपकरणों पर कार्ड और/या उससे संबंधित सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा को वापस लेने, बंद करने, रद्द करने, निलंबित या समाप्त करने का हक्कदार होगा और ऐसे निलंबन या समाप्ति आदि के परिणामस्वरूप आपको होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए आपके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।

रखरखाव: जबकि सेवाओं की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण रखरखाव कार्य की अग्रिम सूचना, जहां भी और जब भी संभव हो, दी जाएगी, चाहे नियमित रखरखाव के लिए या किसी अन्य कारण से, यदि बैंक ऐसा करना आवश्यक समझता है, बैंक बिना किसी सूचना के, ATM/अन्य समान उपकरणों या कोई भी सेवा तक एक्सेस या सभी के प्रावधान को किसी भी समय निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कार्ड और/या प्राथमिक/नामनिर्देशित खातों की समाप्ति:

यदि कार्डधारक कार्ड का उपयोग समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक को बैंक को लिखित रूप में कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देना होगा और तुरंत डेबिट कार्ड बैंक को वापस करना होगा और उसकी वैध रसीद प्राप्त करनी होगी। ऐसी समाप्ति को बैंक द्वारा कार्डधारक को दी गई सभी संबंधित सुविधाओं की समाप्ति भी माना जाएगा। प्राथमिक/नामनिर्देशित खाते को बंद करने के लिए, कार्डधारक को लिखित रूप में कम से कम 7 दिन का नोटिस देना होगा और डेबिट कार्ड बैंक को वापस करना होगा और उसकी वैध रसीद प्राप्त करनी होगी। ऐसी समाप्ति को बैंक द्वारा खाताधारक को दी गई सभी संबंधित सुविधाओं की समाप्ति भी माना जाएगा। इसके द्वारा बैंक के पास नामनिर्देशित खातों को ऑनलाइन या ऑफलाइन स्थिति की स्थिति में, आंतरिक और/या उन योजना नियमों के आधार पर, जिसका बैंक सदस्य है और/या बाध्य है, ऐसे समय के भीतर, बैंक के रिक्तों के अनुसार डेबिट कार्ड/PIN के उपयोग से की गई निकासी/स्थानांतरण, जो कार्ड धारक पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा, सभी के लिए, डेबिट करने का कार्डधारक का स्पष्ट अधिकार है।

राशियों का सत्यापन:

डेबिट कार्ड/PIN के उपयोग के लिए सभी लेनदेन रिक्तों तब तक निर्णायक होंगे जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा सत्यापित न किया जाए। सत्यापित राशि हमेशा कार्डधारक पर बाध्यकारी होगी।

प्रसंस्करण और रूपांतरण शुल्क या प्रभार:

किसी भी ATM/EDS/POS/टच एक्सेस बैंकिंग टर्मिनल/CASST/डिपॉजिटरी/अन्य उपकरणों पर डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर खाते पर सेवा प्रभार और/या लेनदेन शुल्क और/या प्रसंस्करण और/या रूपांतरण शुल्क लगाया जा सकता है। कार्डधारक के खाते से ऐसे शुल्क डेबिट किए जाएंगे जिन्हें बैंक समय-समय पर डेबिट कार्ड के संबंध में उचित समझे, भले ही ऐसे शुल्कों की पूर्व सूचना कार्डधारक को दी गई हो या नहीं। कार्डधारक उपरोक्त सभी के भुगतान के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

प्रभार और शुल्क:

बैंक किसी भी समय कार्डधारक से कार्ड जारी करने, पुन: जारी करने और/या कार्ड पर उसके द्वारा किए गए लेनदेन के लिए कोई शुल्क/प्रभार लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। समय-समय पर लागू शुल्कों और प्रभारों का विवरण बैंक से प्राप्त किया जा सकता है और ये परिवर्तन के अधीन हैं। शुल्क या प्रभार लगने के समय सभी शुल्क और प्रभार आपके कार्ड खाते से स्वचालित रूप से काट लिए जाएंगे। इसके अलावा, कुछ अन्य ATM स्वामी या साझा नेटवर्क के ऑपरेटर या सेवा प्रदाता अपने ATM/अन्य डिवाइस के प्रत्येक उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रभार लागू सकते हैं, और अन्य लागू शुल्क/प्रभार के साथ ऐसा कोई भी प्रभार आपके खाते से काट लिया जाएगा।

कार्ड के उपयोग के परिणामस्वरूप देय कोई भी सरकारी प्रभार, शुल्क या डेबिट, या कर आपकी जिम्मेदारी होगी और यदि आप पर (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) लगाया जाता है, तो बैंक बिना किसी सूचना के ऐसे प्रभार, शुल्क या कर आपके खाते से डेबिट करने का हक्कदार होगा।

उपयोग की सीमाएं:

बैंक आपके डेबिट कार्ड के उपयोग से प्रत्येक दिन लेनदेन की जाने वाली न्यूनतम/अधिकतम राशि को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसी कोई भी सीमा आपके खाते में शेष राशि की उपलब्धता के अधीन होगी। इसी प्रकार, दैनिक न्यूनतम/अधिकतम लेनदेन सीमा सभी ATM पर लागू होती है और विभिन्न बैंकों/नेटवर्क/स्थानों से संबंधित विभिन्न ATM के बीच भिन्न हो सकती है। कार्ड के उपयोग से किए गए लेनदेन किसी भी निर्दिष्ट अवधि में न्यूनतम और अधिकतम राशि तक और निर्धारित किसी भी राशि के गुणकों तक सीमित हो सकते हैं। विभिन्न ATM/नेटवर्क/स्थानों के माध्यम से लेनदेन के लिए इन

नियम और शर्तें

सीमाओं में एकरूपता की कमी के कारण आपको होने वाली किसी भी हानि या असुविधा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

ATM पर जमा और निकासी:

नकदी और चेक केवल बैंक के ATM में ही जमा किए जा सकते हैं। जमा किए गए चेक केवल वसूली के लिए स्वीकार किए जाएंगे। ATM के माध्यम से की गई सभी जमा राशियां नामनिर्देशित खाते (खातों) में जमा करने से पहले सत्यापन के अधीन होंगी। अन्य बैंक के ATM में नकद जमा या व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नकद निकासी और नकद जमा की अनुमति नहीं है, और बैंक ऐसे किसी भी लेनदेन के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

सामान्य अस्वीकरण:

सिस्टम या उपकरण की विफलता के कारण या तीसरे पक्ष के उत्पादों या बिजली या दूरसंचार सहित, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, अन्योन्याश्रितताओं पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की निर्भरता के कारण किसी भी सेवा विफलता या व्यवधान (जिसमें डेटा की हानि भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है) के कारण कोई हानि या क्षति या असुविधा के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है और इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बैंक देवीय कृप, देन, नागरिक हंगामे, विद्रोह, युद्ध, या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण, या किसी हड़ताल या तालाबंदी से व्यवसाय में रुकावट से उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। यदि कोई ATM या सामान या अन्य उपकरण खराब हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कार्डधारक को लेनदेन की कुछ या पूरी राशि का नुकसान होता है, और इस तरह के नुकसान की पुष्टि बैंक के रिक्तों के सत्यापन के माध्यम से की जाती है, तो बैंक आपके नामनिर्देशित खाते (खातों) में आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, तो करेगा। मुद्रित लेनदेन रिक्तों और शेष जानकारी विवरण।

बुटियां, शिकायतें:

जब आप ATM के माध्यम से लेनदेन पूरा करते हैं, तो आप मुद्रित लेनदेन रिक्तों प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने लेनदेन रिक्तों की जांच करें। आप बैंक को कॉल करके लिखित विवरण सहित, जहां भी सुविधा दी जाती है, अपने उपलब्ध धन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा आपको भेजे गए किसी भी विवरण पर खाते के लेनदेन/विवरण में कोई अनियमितता या विसंगतियां मौजूद हैं, तो आप विवरण प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर हमें लिखित रूप में सूचित करेंगे। यदि हमें 15 दिनों के भीतर इसके विपरीत कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो हम मान लेंगे कि विवरण और लेनदेन सही ढंग से दर्शाए गए हैं। आपके हितों की रक्षा के लिए, बैंक अपने विवेक से डेबिट कार्ड सुविधाओं का उपयोग करते समय किसी भी व्यक्ति के एक्सेस और उपस्थिति को कैमरे या वीडियोटैप पर रिकॉर्ड कर सकता है। इस करार के अनुसार ग्राहक के निर्देशों और ऐसे अन्य विवरण (किए गए या प्राप्त किए गए भुगतान सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) के इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेजी रूप में बैंक द्वारा बनाए गए सभी रिक्तों, और ऊपर उल्लेखित सभी कैमरा/वीडियो रिकॉर्डिंग, ग्राहक के विरुद्ध, ऐसे निर्देशों और ऐसे अन्य विवरणों का निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा। यदि मशीन द्वारा कार्डधारक से मांगी गई प्रतिक्रिया कार्डधारक द्वारा एक विशिष्ट समय के भीतर प्रदान नहीं की जाती है और/या गलत जानकारी/कमांड मशीन को दी जाती है तो ATM मशीन डेबिट कार्ड को केपचर कर लेगी। कार्ड बैंक के विवेक पर कार्डधारक को वापस किया जा सकता है। कार्डधारक द्वारा ATM मशीन पर नकद निकासी लेनदेन पूरा होने के बाद, किसी भी कारण से किसी भी नकद हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बैंक के रिक्तों से पता चलता है कि मशीन ने पैसा निकाल दिया है तो नकद निकासी पूरी मानी जाएगी। ATM के आसपास चोरी, संधमारी आदि से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक किसी भी समय किसी भी नेटवर्क साझाकरण व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे बैंक द्वारा जारी किए गए कार्ड ऐसे साझा नेटवर्क में भाग लेने वाले अन्य संस्थानों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर स्वीकार किए जा सकेंगे। हालांकि, बैंक किसी अन्य बैंक के ATM मशीन पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

जानकारी का खुलासा:

बैंक अधिकार सुरक्षित रखता है, और आप इस बात से सहमत हैं कि कार्डधारक के खाते से संबंधित ऐसी जानकारी जो आवश्यक या उचित हो, जिसमें किसी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेटवर्क में ससकी भागीदारी के संबंध में भी शामिल हो, बैंक को चाहे अनुरोध पर या उसके तहत किसी आदेश पर, और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो बैंक द्वारा या अन्यथा उचित समझे जाएं, अन्य संस्थानों, क्रेडिट संदर्भ ब्यूरो, एजेंसियों, वैधानिक, कार्यकारी, न्यायिक और नियामक प्राधिकरणों को प्रकट करने, उनके साथ साझा करने और प्राप्त करने का अधिकार है।

ATM/CASST/टच एक्सेस बैंकिंग टर्मिनल/EDC-POS/अन्य उपकरणों पर डेबिट कार्ड का उपयोग आपकी स्पष्ट सहमति माना जाएगा:

उचित लेनदेन और खाता रिक्तों बनाए रखने के लिए हमारे लिए आवश्यक किसी भी माध्यम से व्यवितगत रूप से पहचाने जाने वाले खाते की शेष राशि की जानकारी का संग्रह, भंडारण, संचार और प्रसंस्करण करना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ATM नेटवर्क/अन्य नेटवर्क में प्रतिभागियों और प्रोसेसरों को आपके खाते के विवरण और लेनदेन की जानकारी और आपके कार्ड को ATM/अन्य डिवाइस पर उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक अन्य डेटा जारी और प्रसारित करना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक/अन्य नेटवर्क में उक्त प्रतिभागियों और प्रोसेसरों द्वारा ऐसी जानकारी और डेटा को प्रतिपादित रखना। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ATM नेटवर्क/अन्य नेटवर्क में उक्त प्रतिभागियों और प्रोसेसरों द्वारा जानकारी के प्रकटीकरण को नियंत्रित करने

नियम और शर्तें

वाले कानूनों और विनियमों का अनुपालन, जिसके अधीन ऐसे प्रतिभागी और प्रोसेसर हैं और आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक खाते के बारे में या आपके कार्ड के उपयोग के माध्यम से किए गए लेनदेन जहां लेनदेन को पूरा करने के लिए आवश्यक हो और/या जब कानून या सरकारी एजेंसी या अदालत के आदेशों या कानूनी कार्यवाही का अनुपालन करना आवश्यक हो और/या आपके द्वारा उठाए गए बुटियों या प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक हो और/या हमारी आंतरिक डेटा प्रोसेसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीसरे पक्ष को जानकारी का खुलासा करना। कार्डधारक इसके द्वारा स्पष्ट रूप से बैंक को किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए आपके व्यवितगत विवरण, खातों, लेनदेन, या बैंक के साथ लेनदेन से संबंधित किसी भी जानकारी का, प्रधान कार्यालय या किसी अन्य शाखाओं, सहायक कंपनियों, या संबद्ध या बैंक के संबद्ध निगम या संस्थाएं, जहां भी स्थित हों, भारत में या कहीं और कोई भी सरकारी या नियामक एजेंसियां या प्राधिकरण, कोई भी एजेंट या टेकेदार जिन्होंने बैंक के लाभ के लिए कोई सेवा (सेवाएं) प्रदान करने के लिए समझौता किया है, और कोई अन्य व्यक्ति, जो भी हो, जहां प्रकटीकरण कानून द्वारा आवश्यक हो या अन्यथा जिसे बैंक ऐसा प्रकटीकरण करना उचित समझे, खुलासा करने के लिए अधिकृत करता है। कार्डधारक बैंक को वह जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत है जिसकी बैंक को कार्डधारक से कानून के तहत या विनियमों के अनुसार आवश्यकता होगी, या कोई अन्य उचित जानकारी जो हम समय-समय पर उचित रूप से अनुरोध करते हैं। यहां दिए गए खातों के संबंध में आपके दायित्व केवल उस बैंक की शाखा में देय हैं जहां खाता या जमा आपके द्वारा खोला गया था और स्थानीय कानूनों के अधीन हैं (जिसमें, बिना किसी सीमा के, कोई भी सरकारी अधिनियम, आदेश, आज्ञाप्ति और राजकोषीय और विनियम नियंत्रण विनियमों सहित विनियम शामिल हैं)। परिवर्तनीयता या हस्तांतरणीयता, आवश्यकताओं, अनैच्छिक हस्तांतरण, युद्ध या नागरिक संघर्ष या बैंक के नियंत्रण से परे अन्य समान या अन्य कारणों पर प्रतिबंध के कारण खातों में जमा धनराशि की उपुलब्धता के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति में बैंक की अन्य शाखा, सहायक कंपनी या सहयोगी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

नियम और शर्तों में बदलाव:

बैंक अपने पूर्ण विवेक से समय-समय पर नियमों और शर्तों में संशोधन/परिवर्तन कर सकता है और किए गए संशोधनों/परिवर्तनों को कार्डधारक को सूचित कर सकता है।

बैंक इन नियमों और शर्तों में जिनमें नीचे सूचीबद्ध उद्देश्यों/कारणों सहित बदलाव/जोड़ सकता है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

केवल आपके कार्ड और PIN के उपयोग, या अतिरिक्त या प्रतिस्थापन कार्ड के उपयोग से संबंधित प्रभार लगाना या बढ़ाना। आपके कार्ड से लेनदेन से संबंधित नुकसान के लिए आपकी देनदारी बढ़ाने के लिए। आपके कार्ड के उपयोग पर लागू होने वाली आवधिक लेनदेन सीमाओं को समायोजित करने के लिए। यदि कार्ड लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण की सुरक्षा को बनाए रखने या पुनर्स्थापित करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है तो बैंक बिना सूचना के भी बदलाव कर सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन किया जाता है तो जब तक कि प्रकटीकरण से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या उपकरण की सुरक्षा को खतरा न हो, कार्डधारक को 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। इन और किसी भी अन्य परिवर्तन की सूचना बैंक द्वारा कार्डधारक को व्यवितगत रूप से भेजकर या हमारे पास दर्ज आपके नवीनतम पते पर पोस्ट करके दी जा सकती है। आपको अपने पते में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। ऐसे अंतिम अधिसूचित पते पर पोस्ट करने का प्रमाण उस समय अधिसूचना का निर्णायक प्रमाण होगा जब इसे डाक द्वारा उचित समय पर वितरित किया जाना चाहिए, भले ही अधिसूचना बिना वितरित डाक के माध्यम से वापस आ जाए। बैंक आपको ATM/शाखा की साइट पर या उसके आसपास एक नोटिस प्रदर्शित करके या एक प्रेस विज्ञापन या आपके स्टेटमेंट में एक संदेश के माध्यम से इन नियमों और शर्तों में बदलाव की सूचना भी दे सकता है।

दायित्व से अवपवर्जन:

उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डेबिट कार्ड लेनदेन के तहत आपके द्वारा प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं में किसी भी दोष सहित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के संबंध में बैंक आपके प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

- किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड को मानने या स्वीकार करने से इंकार करना।
- किसी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल या अन्य उपकरण की खराबी।
- कार्डधारक के लेनदेन निर्देश के अलावा किसी अन्य लेनदेन निर्देश का प्रभाव।
- कार्डधारक द्वारा बैंक के अधिकृत कर्मचारियों के अलावा किसी किसी अन्य को कार्ड सौंपना।
- बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग।
- कार्डधारक के क्रेडिट चरित्र और प्रतिष्ठा को कोई भी चोट, जो कार्ड के दोबारा कब्जे और/या इसकी वापसी के किसी अनुरोध या किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कार्ड का मानने या स्वीकार करने से इनकार करने के कारण हुई हो।
- बैंक द्वारा किसी को बताए गए किसी भी विवरण या खाते के विवरण में कोई गलत बयान, गलत निरूपण, बुटि या चूक।
- समय-समय पर जारी RBI दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा पात्रता से अधिक होने या बैंक को कार्डधारक द्वारा अपनी पात्रता से अधिक राशि प्राप्त करने के बारे में पता चलने के कारण प्रभार से इनकार किया जाना।

विवाद और समाधान:

भारत में सक्षम न्यायालयों के पास बैंक और कार्डधारक, या कार्डधारक की संपत्ति या अन्यथा के बीच सभी विवादों से निपटने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

नियम और शर्तें

प्रवर्तन का व्यय:

खाताधारक और प्रत्येक कार्ड सदस्य इन नियमों और विनियमों को लागू करने या लागू करने के प्रयास में बैंक द्वारा किए गए किसी भी और सभी खर्चों के संबंध में पूर्ण क्षतिपूर्ति के आधार पर बैंक को क्षतिपूर्ति देने और सभी कानूनी शुल्क और संवितरण सहित किसी भी बकाया राशि की वसूली के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

कार्ड पर सुविधाएं:

बैंक समय-समय पर, अपने विवेक से, आपके डेबिट कार्ड पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ गठजोड़ कर सकता है। ये सभी सुविधाएं केवल सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर होंगी, और बैंक किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य प्रदाताओं/व्यापारियों/आउटलेट/एजेंसियों द्वारा पेश किए गए किसी भी उत्पाद या सेवा की प्रभावकारिता, दक्षता, उपयोगिता की गारंटी नहीं देता है। धिवादों (यदि कोई हो) को बैंक को शामिल किए बिना, सीधे व्यापारी/एजेंसी आदि के साथ समझना होगा।

क्षतिपूर्ति:

कार्डधारक एतद्वारा बैंक को उन सभी देनदारियों, हानियों, क्षतियों और खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है जो बैंक कार्डधारक की लापरवाही/गलती या कदाचार के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उठा सकता है। कार्ड और खाते से संबंधित विनियमों/नियमों और शर्तों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन। कार्डधारक या उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी भी लेनदेन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी। ATM/EDC और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल मशीनें हैं और संचालन के दौरान त्रुटियां हो सकती हैं। कार्डधारक ऐसी किसी भी मशीन/यांत्रिक त्रुटि/विफलता के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत है। कार्डधारक भारत के विदेशी मुद्रा कानूनों, RBI के विनियम निर्यंत्रण विनियमों का अनुपालन नहीं करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी परिणामों से बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और उसे हानिरहित रखेगा।

कार्ड का उपयोग और एकाधिक खातों से जुड़ना:

कार्डधारक इस बात से सहमत है कि यदि उसके पास बैंक में कई खाते हैं, तो बैंक उन खातों की संख्या तय करेगा, जिन पर कार्ड की सुविधा होगी।

एकाधिक खातों से जुड़े कार्ड के मामले में:

खाता चयन सुविधा सभी ATM पर उपलब्ध नहीं हो सकती है; इसलिए इन ATM पर सभी लेनदेन कार्ड से जुड़े प्राथमिक खाते को प्रभावित करेंगे। यदि ATM पर खाता चयन की सुविधा उपलब्ध है, तो कार्डधारक के पास लेनदेन करने के लिए खाता चुनने का विकल्प होगा। खाता चयन सुविधा ATM पर किए जाने वाले सभी लेनदेन के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन उस ATM की कार्यक्षमता के आधार पर केवल कुछ लेनदेन तक ही सीमित हो सकती हैं। ऐसे मामलों में, लेनदेन से जुड़े प्राथमिक खाते पर लेनदेन प्रभावित होगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, कार्ड से जुड़े प्राथमिक खाते पर लेनदेन प्रभावित होगा। जहां खाता चयन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां कार्ड से जुड़े प्राथमिक खाते पर लेनदेन प्रभावित होगा। यदि इस खाते में कोई धनराशि नहीं है, तो बैंक लेनदेन का मान्य नहीं करेगा, भले ही उसी कार्ड से जुड़े अन्य खातों में धनराशि उपलब्ध हो। जब तक आपके खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो, आप कार्ड का उपयोग करके धनराशि निकालने/वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने का प्रयास नहीं करेंगे। खाते में पर्याप्त शेष राशि सुनिश्चित करने का दायित्व पूरी तरह आप पर है। इस शर्त का उल्लंघन करने वाले खातों को अतिआहरित खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और आपको खाते की शेष स्थिति को तुरंत सुधारना होगा। ऐसी प्रत्येक स्थिति में जहां खाते से अधिक आहरण हो जाता है, खाते में डेबिट शेष पर लगने वाले व्याज के अतिरिक्त एक फ्लैट शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क बैंक समय-समय पर निर्धारित करेगा।

खाते पर हस्ताक्षर अधिदेश:

कृपया ध्यान दें कि खाते पर ‘उत्तरजीवी के पूर्व’ हस्ताक्षर अनिवार्य होने के मामले में, डेबिट कार्ड केवल तभी जारी किया जाएगा जब पूर्व (प्रथम धारक) के रूप में टैग किए गए व्यक्ति द्वारा अनुरोध किया जाएगा।

समायोजित करने का अधिकार:

किसी खाते में अधिक आहरण होने की स्थिति में, बैंक के पास बिना कोई सूचना दिए, संयुक्त रूप से या एकल रूप से रखे गए आपके किसी भी अन्य खाते में पड़े किसी भी क्रेडिट के विरुद्ध अधिक आहरित राशि को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित है। इन नियमों और शर्तों में से कोई भी कानून के तहत या बैंक और कार्डधारक के बीच समय-समय पर होने वाले किसी अन्य करार के तहत पैसों को समायोजित करने, ट्रांसफर और लागू करने के बैंक के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

बीज़ा/मास्टरकार्ड सैथिक सहायता से सेवाएं:

आपातकालीन सहायता कार्यक्रम की संचार और सेवाओं की व्यवस्था एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाती है और इसका भुगतान बीज़ा/मास्टरकार्ड इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है और कार्डधारक किसी भी और सभी चिकित्सा, कानूनी या अन्य सेवाओं, जिनका लाभ उठाया जा सकता है, की लागत के लिए जिम्मेदार होता है। सहायता केवल सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर प्रदान की जाएगी और समय, दूरी या स्थान की समस्याओं के कारण उपलब्ध नहीं हो सकती है या निलंबित की जा सकती है।

बीज़ा/मास्टरकार्ड इंटरनेशनल द्वारा सुझाए गए और/या नामित चिकित्सा और/या कानूनी पेशेवर बीज़ा/मास्टरकार्ड इंटरनेशनल या बैंक के कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए, बीज़ा/मास्टरकार्ड इंटरनेशनल और बैंक उपलब्धता, उपयोग, कृत्यों, चूक, या आपके द्वारा प्राप्त किसी चिकित्सा, कानूनी या परिवहन

नियम और शर्तें

सेवा के परिणाम के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। बैंक ऐसी सेवाओं की व्यवस्था या उपयोग के लिए कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

व्यापारी स्थान उपयोग:

कार्ड को आमतौर पर भारत और अन्य देशों में बीज़ा/मास्टरकार्ड लोगो प्रदर्शित करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा मान्य किया जाएगा। किसी भी कारण से किसी भी व्यापारी द्वारा कार्ड स्वीकार करने से इनकार करने के लिए बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, आप बैंक को किसी भी व्यापारी/बैंक के इनकार की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें नाम, स्थान, लेन-देन की तारीख और समय और अन्य विवरण शामिल होंगे जो बैंक को उसकी जांच में सहायता करेंगे। किसी भी परिसर में प्रदर्शित कार्ड प्रचार सामग्री या बीज़ा/मास्टरकार्ड प्रतीक इस बात की वारंटी नहीं है कि उन परिसरों में उपलब्ध सभी सामान और सेवाएँ आपके कार्ड से खरीदी जा सकती हैं। कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए हैं और केवल उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ही स्वीकार्य होगा, जिनके पास EDC या समान टर्मिनल हैं जो कार्ड स्वीकार करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के अलावा कार्ड का कोई भी उपयोग अनधिकृत माना जाएगा। कार्ड तभी मान्य होगा जब उस पर कार्डधारक के हस्ताक्षर होंगे। कार्ड को EDC टर्मिनल की कार्यक्षमता के आधार पर व्यापारी स्थानों पर स्थापित EDC टर्मिनलों पर कार्डधारक के हस्ताक्षर या PIN की सहायता से संचालित किया जा सकता है। टर्मिनल द्वारा बिंदी पर्वी तैयार करने के बाद प्रत्येक लेनदेन को अधिकृत और पुरा माना जाता है। लेनदेन की राशि कार्ड से जुड़े प्राथमिक खाते से तुरंत डेबिट कर दी जाती है। कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड का उपयोग प्रत्येक प्रत्येक के लिए व्यापारी के स्थान पर केवल एक बार किया जाए। हर बार कार्ड का उपयोग करने पर बिंदी पर्वी मुद्रित की जाएगी और कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीदारी के समय व्यापारी के स्थान पर कार्ड का एकाधिक उपयोग न हो। बैंक किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए किसी भी अधिभार और लेनदेन राशि के साथ कार्डधारक के खाते से डेबिट किए जाने के लिए कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। जब भी किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में कार्ड का उपयोग किया जाए तो आपको बिंदी पर्वी पर हस्ताक्षर करना होगा और उसे अपने पास रखना होगा। बैंक अतिरिक्त शुल्क पर बिंदी पर्वी की प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी बिंदी पर्वी जो कार्डधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं है, लेकिन जिसे कार्डधारक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, वह भी आपकी जिम्मेदारी होगी। भुगतान के लिए बैंक द्वारा किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान से प्राप्त कोई भी शुल्क या अन्य भुगतान की मांग इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि ऐसी मांग पर र्न किया गया शुल्क उस राशि में और उस शुल्क या अन्य मांग में निर्दिष्ट, जैसा भी मामला हो, कार्डधारक द्वारा उचित रूप से खर्च किया गया था, कार्ड के उपयोग से, सिवाय इसके कि कार्ड खो गया हो, चोरी हो गया हो या धोखाधड़ी से दुरुपयोग किया गया हो, सबूत का दायित्व कार्डधारक पर होगा। किसी भी व्यापारी/डिवाइस त्रुटि या संचार लिंक के कारण सभी रिफंड और समायोजन मैन्युअल रूप से संसाधित किए जा सकते हैं और खाते में उचित सत्यापन के बाद और बीज़ा/मास्टरकार्ड नियमों और विनियमों के अनुसार जमा किया जाएगा। कार्डधारक इस बात से सहमत है कि इस दौरान प्राप्त किसी भी डेबिट का भुगतान इस रिफंड पर विचार किए बिना केवल खाते में उपलब्ध शेष राशि के आधार पर किया जाएगा। कार्डधारक भुगतान निर्देशों को अमान्य करने के कृत्यों से भी बैंक को क्षतिपूर्ति देता है। कार्ड का उपयोग होटलों में चेक-इन के दौरान और अन्य स्थानों पर भी नहीं किया जाना चाहिए जहां खरीद लेनदेन या सेवा पूरी होने से पहले भुगतान की व्यवस्था की जाती है। कार्ड का उपयोग किसी भी मेल ऑर्डर/कोन ऑर्डर खरीदारी के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा। कार्ड का उपयोग विदेशी पत्रिकाओं/पत्रिकाओं की सदस्यता के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे किसी भी उपयोग को अनधिकृत माना जाएगा। कार्डधारक सभी अनधिकृत कार्यों और लेनदेन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। आपको किसी भी समय अपना कार्ड अपनी ओर से उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के समय आप ATM/व्यापारी प्रतिष्ठान में शारीरिक रूप से मौजूद हों।

कार्डधारक का व्यापारियों से विवाद:

किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ किसी भी विवाद या शिकायत का समाधान कार्डधारक द्वारा सीधे व्यापारी के साथ किया जाना चाहिए। कार्ड धारक द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्य वारंटी, डिलीवरी में देरी, गैर-डिलीवरी, किसी भी सामान या सेवाओं की प्राप्ति न होने सहित किसी भी मुद्दे के लिए बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कार्ड सुविधा केवल कार्डधारक के लिए सामान खरीदने या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध एक सुविधा है और बैंक गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य, वितरण या अन्यथा के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, चाहे वह वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में ही क्यों न हो, और किसी भी विवाद का समाधान सीधे व्यापारी प्रतिष्ठान के साथ किया जाना चाहिए। हालाँकि, आप इसे नाम, स्थान, लेन-देन की तारीख और समय और अन्य विवरणों के साथ बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं जो बैंक को उसकी जांच और शिकायत के संपादित समाधान में सहायता करेगा, जिसे सुनिश्चित करने के लिए बैंक बाध्य नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय उपयोग और भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की आवश्यकताएं:

डेबिट कार्ड का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग

डेबिट कार्ड भारत के साथ-साथ, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा अधिकारों के भीतर, भारत के बाहर भी उपयोग के लिए वैध है। आप समय-समय पर RBI द्वारा निर्धारित विदेशी मुद्रा अधिकारों के संबंध में विनियम निर्यंत्रण विनियमों की सभी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित

नियम और शर्तें

करेंगे। वर्तमान RBI दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्ड भारत के साथ-साथ भारत के बाहर भी उपयोग के लिए वैध है, लेकिन नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए मान्य नहीं है। कार्डधारक जो स्थायी रोजगार पर विदेश जा रहे हैं और/या विदेश जा रहे हैं या अनिवारी भारतीय (NRI) बनने का इरादा रखते हैं, उन्हें पूर्व समय पर कार्ड सरंखर करना होगा और कार्ड के सभी बकाया चुकाने होंगे। आप केवल विनियम निर्यंत्रण विनियमों की बेशिक ट्रेडल कोटा (BTC) स्वीम के तहत विदेशी मुद्रा निकासी के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। आप किसी अन्य कारण से कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। भारत के बाहर कार्ड का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम निर्यंत्रण विनियमों सहित भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा। ऐसा करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, आप कानून और उसके तहत समय-समय पर जारी किए गए विनियमों और अधिसूचनाओं का अनुपालन न करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होंगे। कार्ड का उपयोग विदेश जाने वाले सभी निवासियों द्वारा सभी प्रामाणिक व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया जा सकता है, जिसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान की खरीद भी शामिल है। निवासी भारतीयों को विदेशी एक्सचेंजों/विदेशी प्रतिपक्ष को मार्जिन या मार्जिन कॉल की प्रकृति में प्रेषण करने की अनुमति नहीं है। यदि आपके खाते पर कोई ‘‘विदेशी फोरेक्स ट्रेडिंग’’ लेनदेन देखा जाता है, तो हम आपके सभी खाते बंद करने और नियामक को इसकी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप अपने डेबिट कार्ड/खातों पर ऐसे लेनदेन करने से बचें।

विदेश यात्रा के दौरान आहरित कुल विदेशी मुद्रा पात्रता से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्डधारक इस बात से सहमत है कि एक निवासी ग्राहक के लिए, नकदी निकालने या विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठान को भुगतान करने और/या विदेशी व्यापारियों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपयोग करने के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग केवल अनुमत चालू खाता लेनदेन के लिए है और यह समय-समय पर लागू उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत निर्धारित सीमा के अधीन है। कार्डधारक इस बात से सहमत है कि उसके डेबिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सक्षम करने के लिए स्थायी खाता संख्या (‘‘PAN’’, आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी) अनिवार्य है, क्योंकि LRS केवल वैध PAN के साथ ही किया जा सकता है। बैंक के साथ वैध PAN अपडेट न होने या LRS के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन होने पर, ग्राहक जानता है और स्वीकार करता है कि डेबिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय उपयोग अक्षम होने का जोखिम है। खरीदे गए सामान का भारत में आयात लागू बैगेज नियम/एग्जिम नीति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। निवासी भारतीयों को विदेशी एक्सचेंजों/विदेशी प्रतिपक्ष को मार्जिन या मार्जिन कॉल की प्रकृति में प्रेषण करने की अनुमति नहीं है। यदि आपके खाते पर कोई ‘‘विदेशी फोरेक्स ट्रेडिंग’’ लेनदेन देखा जाता है, तो हम आपके सभी खाते बंद करने और नियामक को इसकी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आप अपने डेबिट कार्ड/खातों पर ऐसे लेनदेन करने से बचें। कार्डधारक इस बात से सहमत है कि एक निवासी ग्राहक के लिए, नकदी निकालने या विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठान को भुगतान करने और/या विदेशी व्यापारियों की वेबसाइटों पर ऑनलाइन उपयोग करने के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग केवल अनुमत चालू खाता लेनदेन के लिए है और यह समय-समय पर लागू उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत निर्धारित सीमा के अधीन है। कार्डधारक इस बात से सहमत है कि उसके डेबिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सक्षम करने के लिए स्थायी खाता संख्या (‘‘PAN’’, आयकर विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी) अनिवार्य है, क्योंकि LRS केवल वैध PAN के साथ ही किया जा सकता है। बैंक में वैध पैन अपडेट न होने या LRS के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन होने पर, ग्राहक जानता है और स्वीकार करता है कि डेबिट कार्ड पर अंतर्राष्ट्रीय उपयोग का जोखिम है और इसे अक्षम किया जा सकता है। विनियम की पात्रता आपको यात्रा से पहले उस अधिकृत डीलर से सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जिसके माध्यम से प्रतिपूर्ति मान्य की जा रही है। यदि आप चाहें, तो आप किसी अधिकृत डीलर/पूर्व मुद्रा परिवर्तक से पात्रता की सीमा तक कार्ड के विरुद्ध विदेशी मुद्रा नोट/ट्रेवलर्स चेक के रूप में विदेशी मुद्रा निकाल सकते हैं। पात्रता से ऐसे विदेशी मुद्रा नोटों/यात्री चेकों की बिंदी मौजूदा नियमों द्वारा शासित होगी और लागू सीमा के अधीन होगी। कैलेंडर वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर से विदेशी मुद्रा नोट/यात्री चेक के रूप में निकाली गई मुद्रा को पासपोर्ट में पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। कार्ड का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए प्रेषण को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए मौजूदा नियमों के तहत विनियम जारी करने की अनुमति नहीं है, उदाहरण (a) पत्रिकाएँ जो निर्धारित/प्रतिबंधित सूची में हैं (b) पूल, स्वीपरटेक, लॉटरी आदि की सदस्यता के लिए। (c) उत्पाद/सेवाएं बेचने वाली इंटरनेट साइटें जिनके लिए विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। बैंक ऐसे उल्लंघनों की पूरी जानकारी देते हुए विनियम निर्यंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्डधारक का कार्ड उपयोग करने का अधिकार तत्काल समाप्त हो जाएगा। मौजूदा RBI दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि विदेश में आपके कार्ड के उपयोग के कारण राशि आपकी विदेशी मुद्रा पात्रता से अधिक हो जाती है, तो आपको दावा की गई प्रतिपूर्ति प्रदान करनी होगी और बैंक इस मामले को पूरी जानकारी के साथ विनियम निर्यंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत है। किसी भी परिस्थिति में डेबिट कार्ड की बकाया राशि के भुगतान में देरी नहीं की जानी चाहिए या इस आधार पर इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि आपकी राशि पात्रता से अधिक हो गई है। कार्ड-सदस्य पर दावा करने या भुगतान की मांग करने के लिए बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा और भुगतान न करने पर कार्ड-सदस्य को अपनी कार्ड सदस्यता वापस लेने का जोखिम उठाना होगा, साथ ही बैंक को ऐसी अन्य उचित कार्रवाई करने का भी अधिकार होगा।

भारतीय रुपये के अलावा किए गए सभी लेनदेन बीज़ा/मास्टरकार्ड अंतर्राष्ट्रीय निपटन प्रणाली के माध्यम से परिवर्तित किए जाएंगे। आपके खाते के डेबिट में बीज़ा/मास्टरकार्ड द्वारा लिया जाने वाला कमीशन या

नियम और शर्तें

शुल्क और करों को छोड़कर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा लिया जाने वाला 3.5% रुपांतरण कमीशन शामिल होगा। यह विनियम दर कार्डधारक पर बाध्यकारी होगी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके किसी भी पुन: अधिनियमन या संशोधन या उसमें संशोधन के प्रावधानों, प्रचलित बैगेज नियम और EXIM नीति और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व पूरी तरह से आप पर है। आप इन नियमों और विनियमों के उल्लंघन में गलत उपयोग और उपयोग के लिए पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं और बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, व्याज, रुपांतरण, किसी भी अन्य वित्तीय शुल्क की भरपाई करने और/या उसके कारण भुगतान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देने का वचन देते हैं।

बैंक के निर्यंत्रण से परे विफलता:

आपके निर्देशों का अनुपालन करने में बैंक के निर्यंत्रण से परे कारणों से विफलता के कारण आपको होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, इस संबंध में बैंक की राय अंतिम होती है।

भुगतान अस्वीकार करने की क्षमता:

कानून द्वारा अन्यथा अपेक्षित को छोड़कर, यदि बैंक को कोई प्रक्रिया, सम्मन, आदेश, निषेधाज्ञा, निष्पादन, कुर्की, उदग्रहण, ग्रहणाधिकार, सूचना या नोटिस प्राप्त होता है, जिसे बैंक सद्भावपूर्वक मानता है, यह आपके कार्ड पर लेनदेन करने की आपकी क्षमता पर सवाल उठाता है, हम, अपने विकल्प पर और आपके या बैंक के प्रति उत्तरदायित्व के बिना, आपको आपके फंड का कोई भी हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं, या ऐसे फंड को उचित प्राधिकारी को भुगतान कर सकते हैं और लागू कानून सहित आवश्यक कोई अन्य कदम उठा सकते हैं। बैंक आपके खाते से सेवा शुल्क और आपके कार्ड से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के कारण बिना किसी सीमा के कानूनी शुल्क सहित बैंक द्वारा किए गए किसी भी खर्च में कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

• डेबिट कार्ड नियम और शर्तें •



standard
chartered